न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी – जे. एस. संधु, आई०ए०एस० (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 36/13

1 मांगीलाल आत्मज पन्ना, जाति कलाल, निवासी ग्राम रानपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

दिनांक : 22.02 .2018

निर्णय

वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 362/1676 चाही प्रथम वाके ग्राम रानपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा पर स्थित है। उक्त आराजी संवत 2056 से वादी के नाम पर खसरा गिरदावरी में वादी का नाम दर्ज है। वादी उक्त आराजी पर गत 40 वर्षो से काबिज काश्त है और वादी ही उक्त आराजी का राजस्व लगान आदि जमा करता आ रहा है। धारा 91 एल.आर.ए. के तहत राशि भी वादी ही जमा कराता आ रहा है। वादी का उक्त आराजी पर एडवर्स पजेशन है। उक्त आराजी शुरू में उबड खाबड थी। जमीन पर झाडियां थी, जिसको वादी ने अपनी मेहनत, लगन से पैसा लगाकर आराजी को साफ किया, आराजी को समतल किया, काश्त योग्य बनाया और उक्त आराजी पर गत 40 वर्षो से काबिज काश्त है।

वादी को वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि उक्त आराजी को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी में दर्ज करवावे। इस हेतु वादी ने प्रतिवादी व हल्का पटवारी से बात की तो प्रतिवादी व हल्का पटवारी ने वादी की कोइ सुनवाई नहीं की और धमकी दी कि इस आराजी को हम अन्य के नाम दर्ज कर देगें। वादी को आराजी पर शान्तिपूर्वक काश्त नहीं करने देगें। वाद कारण, वादी द्वारा उक्त आराजी को एडवर्स पजेशन के आधार पर अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने हेतु प्रतिवादी से निवेदन करने पर कोई ध्यान नहीं देने व अन्तिम बार दिनांक 5.04.2013 को उक्त आराजी खाते में दर्ज करने हेतु निवेदन करने पर प्रतिवादी ने मना कर दिया। उल्टे उक्त आराजी से वादी को बेदखल करने, आराजी को अन्य के नाम दर्ज करने, वादी को शान्तिपूर्वक काश्त नहीं करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में इस आशय की घोषणा पारित की जावे कि विवादित आराजी को एडवर्स पजेशन के आधार पर वादी के नाम खातेदारी में घोषित किया जावे तथा वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिवादी, उक्त विवादित आराजी से वादी को बेदखन नहीं करें, किसी अन्य के नाम दज्र नहीं करें।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

सहायक कलक्टर, कोटा

वादी के शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदालखत व मजाहमत ना तो प्रतिवादी स्वयं करे, न ही अपने किसी प्रतिनिधि से ही करावे। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में विवादित आराजी की खसरा गिरदावरी, धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस एवं वादी द्वारा जमा किये गये जुर्माने की रसीद की प्रतियां पेश की गई है।

न्यायालय में वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी की नियमानुसार तामील उपरान्त कोई जवाब साक्ष्य आदि पेश नहीं किया गया। तदुपरान्त, वादी एवं प्रतिवादी की जिरह निल की गई एवं वादी वकील की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये विवादित आराजी का खातेदार घोषित किये जाने तथा प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वादी वकील की बहस के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। वादी द्वारा विवादित आराजी पर अपने गत 40 वर्षो के कब्जे के आधार पर खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है। उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर वादी विवादित आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत के काबिज काश्त है तथा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी चाहता है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं दिये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों के निम्नांकित गत निर्णयों का भी दृष्टान्त लिया जाना समीचीन होगा –

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नहीं लाया जा सकता है। (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)

उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसरण में वादी को मात्र लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः कृषि आराजी पर लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित होने तथा वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22 फरवरी, 2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे. एस. संधु)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा (राज.)

सहायक कलक्टर, कोटा

Mangilal v/s Sarkar

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी– जे. एस. संधु, I.A.S. (P)

बउनवान :–

1 मांगीलाल आत्मज पन्ना, जाति कलाल, निवासी ग्राम रानपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

बनाम वादी

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत : 88, 89, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 36 / 13
निर्णय दिनांक : 22-02-2018

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से वादी अभिभाषक श्री केसरीलाल बैरवा की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 22–02–2018 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री जे. एस. संधु, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी को मात्र लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः कृषि आराजी पर लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित होने तथा साक्ष्य के अभाव में वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।
खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 22.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा

(जे. एस. संधु)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		

सहायक कलक्टर, कोटा